

वकील कृष्ण दत्त सिंह वीर सिंह के नाम पर 7.8.2002 से 31.3.2011 तक के दौरान निम्न प्रधानाचार्य के द्वारा जारी की गई लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रदान की गई किसी गलत सूचना एवं सूचना उपलब्ध न करवाने के लिये किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। लेखा परीक्षा विभाग का दायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित है।

1. निम्नलिखित विवरण

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सैन्ज के छात्र कल्याण निधि लेखों अवधि 7.8.2002 से 31.3.2011 का प्रथम अंकेक्षण श्री मोहिन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) व श्री पुनीत कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 13.10.11 से 20.10.11 तक सैन्ज में किया गया। अंकेक्षण हेतु आय व व्यय की जाँच के लिये माह 8/2002, 8/03, 8/04, 8/05, 8/06, 8/07, 7/08, 8/09, 7/10 व 11/02, 10/03, 11/04, 12/05, 11/06, 8/07, 7/08, 8/09, 10/10 के लेखों का चयन किया गया। वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध अभिलेख एवं सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग प्रधानाचार्य द्वारा प्रदान की गई किसी गलत सूचना एवं सूचना उपलब्ध न करवाने के लिये किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। लेखा परीक्षा विभाग का दायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सैन्ज में अवधि 7.8.2002 से 31.3.11 तक के दौरान निम्न प्रधानाचार्य कार्यरत रहे।

नाम	विवरण
श्री डी0एस0 जमवाल	7.8.2002 से 31.3.2011

2. निम्नलिखित विवरण

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सैन्ज के छात्र कल्याण निधि लेखों अवधि 7.8.2002 से 31.3.2011 के अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹7700/- किया गया। प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सैन्ज को अनुभाग अधिकारी (ले0प0) की अधियाचना संख्या फिन(एल0ए0)एम के कुल्लू 10/11 -661 दिनांक 19.11.11 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को भिजवाने का अनुरोध किया गया। संस्थान द्वारा उपरोक्त शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या K.C.C 782393 दिनांक 27.10.11 द्वारा प्रेषित कर दी गई।

3. निम्नलिखित विवरण

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सैन्ज के निधि लेखों अवधि 7.8.2002 से 31.3.2011 की वित्तीय स्थिति का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

4 **fpfdRIk ifrifr fcy ₹30331@&e ₹1370@&dk nkgjk Hkxrku%&**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सैन्ज के अवधि 8/2002 से 3/2011 के लेखों की जांच करने पर पाया गया कि रोकड़ वही पृ0 सं0 121 एवं 124 दिनांक 22.5.08 एवं 30.7.08 पर श्री मदन लाल प्रशिक्षणार्थी पैन्टर को ₹30331/-चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल के रूप में भुगतान किया गया। इस भुगतान में पी0जी0आई0 की रसीद (अग्रिम) संख्या 307689 दिनांक 22.5.08 के अन्तर्गत ₹1370/-एवं रसीद संख्या 10320492 दिनांक 24.5.08 के अन्तर्गत ₹1370/-का दोहरा भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिस की सम्बंधित प्रशिक्षणार्थी से वसूली करके छात्र निधि में जमा करवाया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

5 **vfHky[k iLrr u djuk%&**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सैन्ज के अवधि 8/02 से 3/11 के लेखों के अंकक्षण के दौरान निम्नलिखित अभिलेख अंकक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसे आगामी अंकक्षण के समय प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

jkDM ogh	i0I0 fnukd	Qe! dk uke	jkf'k
12	21.11.02	M/S delite Stationer Bhunter -Do- M/S Ganjuma Bhagmal Bhunter	140 1000 125
13	25.11.02	M/S Achar Sing & Brother Sainj M/S Lippal Hardware Bhunter -Do- M/S Dev Bhumi Jeep Union Bhunter M/S Ganjuma Bhagmal Bhunter M/S Shoula Plywood Bhunter M/S Ganjuma Bhagmal Bhunter	182 270 155 550 456 4528 2070

M/S Haryana	850
Hardware Bhunter	
-Do-	62
-Do-	8294
-Do-	1451

₹20136

6 Nk=k dk tekur jkf'k;k okfi l dju gr vkipkfjdrkvk i.lk dju d ckj e&

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सैन्ज के अवधि 8/02 से 3/2011 के लेखों में छात्र जमानत रिफण्ड बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि छात्रों को जमानत राशि का भुगतान करते समय वैवाकी प्रमाण पत्रों में छात्रों से पूर्व में जमानत लेने से सम्बन्धित रसीद संख्या एवं दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः छात्रों से जमानत राशि प्राप्त करने की रसीद संख्या की वैवाकी प्रमाण पत्रों पर प्रविष्टियाँ दर्ज की जाएँ तथा राशि की रजिस्टर में धरोहर वापसी की प्रविष्टियाँ भी दर्ज की जाये ताकि दोहरे भुगतान की सम्भावना से बचा जा सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

7 y/k vkifUk fooj.kh& यह अलग से जारी नहीं की गई।

8 fu"d"kh& लेखाओं के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या: वित्त (ले0प0)मु0(सी)(15)(xi)(3) 102/04 खण्ड-I दिनांक, शिमला-171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- i.thdr 1 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सैन्ज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 शिमला-9 को अतिषीघ्र भेजे।
- 2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा हि0प्र0, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0
- 3 सचिव तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण शिमला-2 हि0प्र0
- 4 श्री मोहिन्द्र कुमार अनुभाग अधिकारी द्वारा.....

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.